

**फॉर्म ए**  
**सार्वजनिक घोषणा**  
 [ भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड  
 (कॉरपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016  
 के विनियम 6 के अधीन ]

जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड (JAYPEE INFRA TECH LTD) के ऋणदाताओं के ध्यानार्थ	
संख्या	विवरण
1	कॉरपोरेट देनदार का नाम जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड (JAYPEE INFRA TECH LTD)
2	कॉरपोरेट देनदार के निगमन की तिथि 5 अप्रैल, 2007
3	उस ऑथोरिटी का नाम, जिसके अधीन कॉरपोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज
4	कॉरपोरेट देनदार की कॉरपोरेट पहचान संख्या/ सीमित देयता पहचान संख्या L45203UP2007PLC033119
5	कॉरपोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई है) का पता सेक्टर-128, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा-201304 (उ.प्र.)
6	कॉरपोरेट देनदार के संबंध में दिवाला प्रारंभ होने की तिथि 9 अगस्त, 2017
7	दिवाला समाधान के बन्द होने की अनुमानित तिथि दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रारंभ करने की तिथि से 180 दिन
8	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का नाम, पता, ईमेल पता और पंजीयन संख्या नाम: अनुज जैन जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड हेतु अंतरिम समाधान प्रोफेशनल मार्फत बीएसआरआर एंड कं. चार्टर्ड एकाउंटेंट्स पता: बिल्डिंग नं. 10, आठवां तल, टॉवर बी, डीएलएफ साइबर सिटी, फेज II, गुरुग्राम-122002 (हरियाणा) पंजीयन सं.: आईबीवीआई/आईपीए-001/आईपी- पी 00142/2017-18/10306 ईमेल आईडी: IRPJIL@bsraffiliates.com
9	दावे जमा कराने की अंतिम तिथि 24 अगस्त, 2017

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि नेशनल कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल ने 9 अगस्त, 2017 को जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड के विरुद्ध एक कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रारंभ करने का आदेश दिया है।

एतद्वारा जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड (JAYPEE INFRA TECH LTD) के ऋणदाताओं से कहा जाता है कि वे अपने दावों का एक प्रमाण उपरोक्त आइटम 8 के समक्ष लिखे पते पर अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के पास 24 अगस्त, 2017 को अथवा इससे पूर्व जमा करा दें।

वित्तीय ऋणदाता अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही जमा कराएं। ऑपरेशनल ऋणदाता, कामगारों एवं कर्मचारियों सहित, अपने दावों के प्रमाण व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जमा करा सकते हैं।

दावों के प्रमाण भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कॉरपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के चैप्टर IV के अनुसार ही जमा कराएं। दावों के प्रमाण अधोलिखित निर्दिष्ट रूपों में से किसी रूप में जमा कराएं :-

- फॉर्म बी- ऑपरेशनल ऋणदाताओं द्वारा दावा किए जाने हेतु
- फॉर्म सी- वित्तीय ऋणदाताओं द्वारा दावा किए जाने हेतु
- फॉर्म डी- कामगारों एवं कर्मचारियों द्वारा दावा किए जाने हेतु

फॉर्म की एक प्रति प्राप्त करने हेतु आप उपरोक्त फॉर्म वेबसाइट [www.ibbi.gov.in](http://www.ibbi.gov.in) से डाउनलोड तथा भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कॉरपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 से प्राप्त कर सकते हैं।

दावों के मिथ्या अथवा भ्रामक प्रमाण जमा कराने पर दण्ड का प्रावधान है।

अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का नाम तथा हस्ताक्षर: अनुज जैन हस्ता./-

दिनांक: 10 अगस्त, 2017

स्थान: नई दिल्ली, भारत

नवभारत टाइम्स > नई दिल्ली > शनिवार 12 अगस्त 2017